भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3365
सोमवार, 23 मार्च, 2026 (2 चैत्र, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम एशियाई वायु गलियारे के बंद होने से प्रभावित उड़ानों और यात्रियों के लिए किए गए उपाय

3365. श्रीमती दर्शना सिंह:
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री उज्जवल देवराव निकम:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2026 में पश्चिम एशियाई हवाई गलियारा बंद होने के कारण 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने से भारतीय एयरलाइनों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन किया गया है;

(ख) फंसे हुए भारतीय यात्रियों को आपातकालीन पारगमन वीजा प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है;

(ग) डीजीसीए द्वारा स्थापित उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र चेतावनी प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रभावित यात्रियों के लिए पूर्ण धन-वापसी अथवा नि:शुल्क पुनर्निर्धारण की सुविधा सुनिश्चित की गई है; और

(ङ) क्या किरायों में वृद्धि को रोकने के लिए मध्य एशिया के ऊपर वैकल्पिक मार्गों को रियायत दी जा रही है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): पश्चिम एशियाई हवाई गलियारे के बंद होने और उड़ान परिचालनों पर इसके प्रभाव से उत्पन्न स्थिति की मंत्रालय द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। इससे संबंधित वित्तीय निहितार्थ विकसित हो रहे हैं और एयरलाइनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से मंत्रालय द्वारा आवश्यकतानुसार उचित उपाय किए जा रहे हैं।

(ख): पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन, फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए मेजबान सरकारों के साथ नजदीकी से समन्वय कर रहे हैं।

i. बहरीन, इराक़, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई में भारतीय मिशनों ने रियाद, सऊदी अरब के मिशन के सहयोग से सऊदी अरब के रास्ते 3,500 से अधिक व्यक्तियों (17 मार्च 2026 तक) के पारगमन को सक्षम बनाया है।

ii. दोहा (कतर) में मिशन ने यात्री पंजीकरण, सीमित उड़ानों के लिए समन्वय और आवास और आपातकालीन मामलों हेतु सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान किया है।

iii. अबू धाबी में मिशन ने स्थानीय अधिकारियों के समन्वय में प्रभावित नागरिकों को वीजा ओवरस्टे जुर्माने से छूट प्राप्त करने में सहायता की है।

(ग) : नागर विमानन महानिदेशालय ने परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय में नियमित परामर्शिकाएं, नोटम जारी करने और रीयल-टाइम रिस्क आकलन सहित अत्यधिक जोखिम वाले हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है।

(घ) : भारतीय वाहक प्रभावित यात्रियों के लिए पूर्ण धनवापसी और फ्री रिसेड्यूलिंग की पेशकश कर रहे हैं।

(ङ) : नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइनों के साथ निरंतर समन्वय में है और यह सुनिश्चित करने के लिए हवाई किराए की बारीकी से निगरानी कर रहा है कि टिकट की कीमतें उचित रहें और इस अवधि के दौरान हवाई किराए में अनुचित वृद्धि न हो।
